नम्बर व तार
अहकाम
हुक्म की ता
में जारी हु

Web Copy - Not Official

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 16 / 2016

अनवानः–

1 शारदा देवी पत्नी बलराम 2 सुनीता पुत्री बलराम 3 संदीप पुत्र बलराम अकवाम जाट सा. पक्कासहारणा।

4 कविता 5 रोहिताश पि. बलराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शारदादेवी पत्नी बलराम जाट सा. पक्का सहारणा तह0 हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1 रायसिंह पुत्र मनीराम 2 कलावती पत्नी मनीराम जाति जाट सा. पक्कासहारणा।

2 संतोष पुत्री मनीराम पत्नी भूपराम जाति जाट सा. धिगतानिया त0 सादुलशहर।

4 मैनी पुत्री मनीराम पत्नी संतलाल जाति जाट सा. जाखडांवाली तह. पीलीबंगा।

5 तहसीलदार(राजस्व) हनुमानगढ।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 358 चक 24 एलएलडब्ल्यु ए व 551 चक 25 एलएलडब्ल्यु दिनांक 31.7.2015 ।

उपस्थितः– 1 श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री खुशप्रीतसिंह संधू अभिभाषक रेस्पो0 1
3 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –12.09..2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैंः–

क– कि तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा पारित नामान्तरण कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती है।

ख– कि प्रश्नत भूमि जो कि अपीलार्थी सं0 1 के ससुर व अपीलार्थी सं. 2 ता 5 के दादा मनीराम की पैतृक भूमि थी जो उन्हें अपने पिता पदमा पुत्र वीरू से प्राप्त हुई थी। जिसमें अपीलार्थी सं0 1 के पति व रेस्पो0 सं0 1,3,4 का मनीराम के जीवनकाल में जन्म से हक व हिस्सा था। अपीलार्थी सं 1 के पति का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा का हक है जिसे अपीलार्थीगण प्राप्त करने के विधिक अधिकारिणी हैं।

... निवास करते थे एवं स्व0 मनीराम प्रत्यर्थी सं01 के अत्यधिक प्रभाव में थे व अक्सर बीमार रहते थे एवं उनका मानसिक सन्तुलन भी सही नहीं रहता था जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 ने मनीराम से बिना अधिकारिता के दिनांक 12.1.14 को एक वसीयतनामा प्रशनगत भूमि का प्रत्यर्थी सं. 1 ने अकेले अपने नाम से निष्पादित व पंजीबद्ध करवा लिया । चूंकि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि थी एवं स्व– अर्जित भूमि से संबंधित कोई दस्तावेजात वसीयतनामा के साथ सलंग्न नहीं थे, जिस कारण उप पंजीयक हनुमानगढ द्वारा उक्त वसीयतनामा दिनांक 12.1.14 की पुश्त पर नोट अंकित कि ' दस्तावेज के साथ स्व–अर्जित सम्पति के पुष्टि का साक्ष्य पेश नहीं किया गया है अतः पंजीयन निय 39 के तहत नोट अंकित किया गया।' तहसीलदार हनुमानगढ ने वसीयत का इन्तकाल दर्ज करते समय वसीयतनामा की पुश्त पर अंकित नोट पर बिना गौर किये एवं प्रश्नगत भूमि के स्व–अर्जित होने की बिना कोई जांच किए अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर दिये जो काबिल खारिजी के हैं।

घ– कि तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रश्नगत वसीयत का नामान्तरण करते समय विधि प्रकिया का पालन नहीं किया व स्व0 मनीराम के समस्त वारिसान को कोई विधिवत नोटिस जारी नहीं किया एवं ना ही उन्हें कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज कर दिया।

ङ– कि मनीराम की भूमि को अपने नाम राजस्व अभिलेख में प्रत्यर्थी सं. 1 को जरिये वसीयत अपने नाम करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों/ अधिकारियों से मिलीभगत कर वसीयत दिखाकर नामान्तरण दर्ज करवा लिया। राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी सं0 1 का नाम आ जाने के कारण प्रत्यर्थी सं.1 इसका लाभ उठाते हुए उसे अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने हेतु तत्पर है। इस कारण भी तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है।

अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण धार 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी सलंग्न किया है। अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 व रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 1 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रश्नगत आराजी पैतृक भूमि थी जिसकी वसीयत करने की अधिकारिता मनीराम को नहीं थी तथा मनीराम के वारिसान को कोई विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 1 द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि स्व0 मनीराम के नाम 64 बीघा कृषि भूमि थी । मनीराम ने दिनांक 28.4.72 को 32 बीघा भूमि अपने पास रखी व 32 बीघा भूमि अपने पुत्र बलराम को पंजीबद्ध बंटवारा नामा से दी गयी है। इस बंटवारा नामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। मनीराम द्वारा पंजीबद्ध वसीयत की गयी है जब तक पंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक

अपर जिला कलक्टर

वसीयत को विधिक माना जावेगा। अपीलांट द्वारा इस वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है जिससे वसीयत अंतिम हो चुकी है। साथ ही यह भी कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 364 के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पिता पुत्र के बंटवारे उपरान्त संयुक्त परिवार की सम्पति में से जो हिस्सा पिता को प्राप्त होगा वह उसका स्वअर्जित माना जावेगा। बलराम द्वारा अपना हिस्सा प्राप्त करने के उपरान्त मनीराम के नाम शेष रही आराजी में जो बलराम के लिए मनीराम की स्वअर्जित आराजी रही में कोई हिस्सा क्लेम नहीं किया जा सकता । साथ ही मियाद के बिन्दु पर न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2002 पेज 541 प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलाधीन इन्तकाल पंजीकृत वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है। पंजीबद्ध वसीयत को सिविल न्यायालय से जब तक निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक इन्तकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से निरस्ती योग्य है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है व अपीलाधीन इन्तकाल यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official